

न्यायालय— पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क. :- 1630 / 2013)

(संस्थित दिनांक :- 24 / 12 / 2013)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर

जिला—भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन ।

/// विरुद्ध ///

01. राकेश कौरव पुत्र जगदीश कौरव उम्र 28 वर्ष
निवासी :- ग्राम सिलगिला, थाना—रिठौरा, जिला—मुरैना, (म.प्र.)
02. उम्मेद सिंह कुशवाह पुत्र सेवाराम कुशवाह उम्र 33 वर्ष
निवासी :- ग्राम रुंद का पुरा, थाना—रिठौरा, जिला—मुरैना, (म.प्र.)

..... अभियुक्तगण ।

/// निर्णय ///

(आज दिनांक : 24 / 12 / 2016 को घोषित)

01. अभियुक्तगण राकेश कौरव एवं उम्मेद सिंह पर भा.द.सं. की धारा 457 एवं 380 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपीगण ने दिनांक : 02—03 / 11 / 2013 की दरम्यानी रात्रि लगभग 12—01 बजे नोवा फैक्ट्री मालनपुर में, सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ गृह भेदन किया एवं फरियादी आदित्य शुक्ला के आधिपत्य से दो पुरानी बिजली की मोटर कीमत लगभग 5,000 /— रुपये को उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी की।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं हैं।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक : 02—03 / 11 / 2013 की दरम्यानी रात्रि लगभग 12—01 बजे नोवा फैक्ट्री मालनपुर में, आरोपीगण राकेश एवं उम्मेद सिंह द्वारा प्रवेश कर फरियादी सहायक प्रबंधक नोवा फैक्ट्री आदित्य शुक्ला के आधिपत्य की दो पुरानी बिजली की मोटर कीमत लगभग 5,000 /— चुराने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी आदित्य शुक्ला द्वारा दिनांक 03 / 11 / 2013 को दोपहर 12:30 बजे थाना मालनपुर पर की जाने पर, थाना मालनपुर में आरोपीगण राकेश एवं उम्मेद के विरुद्ध अपराध क्रमांक 242 / 13 अन्तर्गत धारा 457 एवं 380 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान फरियादी आदित्य शुक्ला की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा—मौका बनाया गया। आरोपी राकेश कौरव को दिनांक 05 / 11 / 2013 को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी

राकेश कौरव का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का ज्ञापन दिनांक : 05/11/2013 को अंकित किया गया, जिसमें आरोपी द्वारा यह व्यक्त किया गया कि उसने आरोपी उम्मेद के साथ दिनांक : 02-03/11/2013 की रात्रि को नोवा घी फैक्ट्री मालनपुर के मेंटीनेंस विभाग के कमरे से एक-एक मोटर बिजली की चोरी की, वह मोटर उसने अपने घर में छिपाकर रखी है, चलो चलकर बरामद करा देता हूँ। उक्त ज्ञापन के अनुशरण में आरोपी राकेश कौरव के ग्राम सिरगिला स्थित मकान से दिनांक : 05/11/2013 को एक बिजली की मोटर कीमत लगभग 2,500/- रुपये जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपी उम्मेद सिंह को दिनांक : 19/12/2013 को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी उम्मेद का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का ज्ञापन दिनांक : 19/12/2013 को अंकित किया गया, जिसमें आरोपी द्वारा यह व्यक्त किया गया कि उसने आरोपी राकेश के साथ दिनांक : 02-03/11/2013 की रात्रि को नोवा घी फैक्ट्री मालनपुर के मेंटीनेंस विभाग के कमरे से एक-एक मोटर बिजली की चोरी की, वह मोटर उसने अपने घर में टी.वी. वाले कमरे में छिपाकर रखी है, चलो चलकर बरामद करा देता हूँ। उक्त ज्ञापन के अनुशरण में आरोपी उम्मेद के ग्राम रूंध का पुरा स्थित मकान से दिनांक : 19/12/2013 को एक बिजली की मोटर कीमत लगभग 3,000/- रुपये जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा दो बिजली की मोटर की पहचान कार्यवाही सरपंच मालनपुर के समक्ष कराई गई। विवेचना के दौरान फरियादी आदित्य शुक्ला, साक्षी लाल बहादुर एवं बालकिशन के कथन लेखबद्ध किये गये और विवेचना पूर्णकर आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्तगण राकेश कौरव एवं उम्मेद सिंह के विरुद्ध धारा 457 एवं 380 भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपीगण ने दिनांक : 02-03/11/2013 की दरम्यानी रात्रि लगभग 12-01 बजे नोवा फैक्ट्री मालनपुर में, सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ गृह भेदन किया?

02. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी आदित्य शुक्ला के आधिपत्य से दो पुरानी बिजली की मोटर कीमत लगभग 5,000/- रुपये को उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी की?

03. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक : 01 एवं 02

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी आदित्य शुक्ला अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह मालनपुर स्थित नोवा घी फैक्ट्री में डिप्टी जनरल मैनेजर एच. आर. के पद पर पदस्थ है। घटना वर्ष 2013 की रात्रि के समय की है। वह घटना वाले दिन अपने घर ग्वालियर में था। साक्षी आगे कहता है कि उसे फैक्ट्री से सिक्योरिटी हेड से फोन आया था कि उम्मेद नाम का लड़का जो कि ई.टी.पी. पर काम करता था, जिसमें साथ में राकेश नाम का लड़का था, जो हरी सिंह के कॉन्ट्रैक्ट में था। उक्त दोनों आरोपी नोवा फैक्ट्री से मशीनों की 03-04 मोटरों को लेकर भाग गये थे। साक्षी आगे कहता है कि आरोपीगण का सिक्योरिटी गार्ड ने पीछा किया, परन्तु वह पकड़ में नहीं आये थे। उसे घटना के बारे में फोन पर लाल बहादुर सिक्योरिटी गार्ड ने फोन किया था और ये सारी बातें बताई थी। वह अगले दिन नोवा फैक्ट्री गया था, फिर उसने थाना मालनपुर में जाकर घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि मालनपुर के स्कूल में मोटरों की शिनाख्तगी के पश्चात् उसे उक्त मोटरे प्राप्त हुई थी। शिनाख्ती पंचनामा प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका बयान लिया था। साक्षी आगे कहता है कि मोटरों पर कुछ नहीं लिखा था। फिर कहा कि मोटरों पर पेंट से नोवा लिखा हुआ था। दिनांक : 02-03/11/2013 की रात्रि 12-01 बजे नोवा फैक्ट्री मालनपुर से फरियादी आदित्य शुक्ला के आधिपत्य से दो पुरानी इस्तमालशुदा बिजली की मोटर चोरी होने के संबंध में आदित्य शुक्ला अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है और आदित्य शुक्ला अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों से भी हो रही है।

09. अभियोजन साक्षी गजेन्द्र सिंह अ.सा.07 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 03/11/2013 को पुलिस थाना मालनपुर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने अपराध क्रमांक 242/2013 अन्तर्गत धारा 457 एवं 380 भा.द.सं. फरियादी आदित्य शुक्ला के बताये अनुसार आरोपी राकेश एवं उम्मेद सिंह के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी एवं उसको पढ़कर सुनाई थी, सही होने पर फरियादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये गये थे, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में गजेन्द्र अ.सा.07 का कहना है कि फरियादी आदित्य शुक्ला को रिपोर्ट की जानकारी स्वयं थी या अन्य किसी से जानकारी लेकर उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में गजेन्द्र अ.सा.07 का कहना है कि उसने आदित्य शुक्ला अ.सा.01 के बताये अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी। गजेन्द्र अ.सा.07 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 03/11/2013 को आदित्य शुक्ला द्वारा नोवा फैक्ट्री में चोरी होने की रिपोर्ट लेखबद्ध कराये जाने के संबंध में प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है। गजेन्द्र अ.सा.07 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उसके द्वारा लेखबद्ध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों से भी हो रही है। गजेन्द्र अ.सा.07 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से आदित्य शुक्ला अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि हो रही है। उक्त विवेचना से यह प्रमाणित होता है कि दिनांक : 02-03/11/2013 की दरम्यानी रात्रि लगभग 12-01 बजे नोवा फैक्ट्री मालनपुर में, फरियादी आदित्य शुक्ला के आधिपत्य से दो पुरानी बिजली की मोटर कीमत लगभग 5,000/- रुपये को, सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित कर चोरी की गई थी।

10. साक्षी लाल बहादुर अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी राकेश एवं उम्मेद को जानता है। घटना दिनांक : 23/11/2013 की है। वह नोवा फैक्ट्री मालनपुर में सिक्थोरिटी गार्ड के पद पर पदस्थ था। साक्षी आगे कहता है कि रात्रि के 12-12:30 बजे की बात है। वह सिक्थोरिटी के लिए राउण्ड पर जा रहा था, उसकी पैट्रोलिंग गश्त के लिए ड्यूटी थी। उसने उम्मेद एवं राकेश को देखा उक्त लोग मेंटीनेंस वर्कशॉप में से मोटर उठाकर ले जा रहे थे। साक्षी आगे कहता है कि उसने उन लोगों को आवाज लगाई, तभी उक्त लोग भाग गये। उसने व्हिसिल बजाई तो उसके गनमैन मौके पर आ गये थे, जिन्हें पंडित जी कहते हैं, जिनका नाम बालकिशन शर्मा अ.सा.03 है। साक्षी आगे कहता है कि तब तक उम्मेद एवं राकेश दीवाल फांदकर मोटर लेकर भाग गये थे। साक्षी आगे कहता है कि दूसरे दिन पुलिस ने राकेश को मालनपुर बस स्टेण्ड से गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 04 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने आरोपी राकेश से उसके सामने पूछताछ की थी। आरोपी राकेश ने पुलिस को बताया था कि उसने मोटर उठाई थी, जो उसके घर पर रखी है, चलो चलकर बरामद

करा देता हूँ। पुलिस द्वारा इस वावत् बनाया गया धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मैमों प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने राकेश के घर से मोटर जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.06 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11. उल्लेखनीय है कि अभियोजन कथा एवं फरियादी आदित्य शुक्ला अ.सा. 01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के अनुसार घटना दिनांक : 02-03/11/2013 की है। जबकि लाल बहादुर अ.सा.02 ने उसके मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 तथा प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में दो बार यह दर्शित किया है कि घटना दिनांक : 23/11/2013 की है। इस प्रकार यह साक्षी अभियोजन कथा के अनुसार घटना दिनांक से लगभग 20 दिन पश्चात् की घटना होना बता रहा है। इस प्रकार घटना दिनांक के संबंध में फरियादी आदित्य शुक्ला अ.सा. 01 एवं घटना के कथित चक्षुदर्शी साक्षी लाल बहादुर अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

12. लाल बहादुर अ.सा.02 का उसके मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में यह कहना है कि जब आरोपीगण नोवा फैक्ट्री से मोटरों की चोरी करके भाग रहे थे, तब उसने व्हिसिल बजाई तो गनमैन बालकिशन अ.सा.03 वहाँ आ गये थे, तब दोनों आरोपी दीवाल फादकर भाग गये थे। बालकिशन अ.सा.03 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह तो दर्शित किया है कि लाल बहादुर अ.सा.02 द्वारा सी.टी.बजाई जाने पर वह एवं रामगोपाल दौड़कर मौके पर पहुँचे, तब लालबहादुर ने उसे यह बताया था कि राकेश एवं उम्मेद चोरी करके भाग गये। बालकिशन अ.सा.03 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी इस तथ्य का समर्थन नहीं किया है कि उसने आरोपी राकेश एवं उम्मेद को चोरी करते हुए देखा था। बाल किशन अ.सा.03 का यह भी कहना है कि उसे यह नहीं मालूम कि राकेश एवं उम्मेद क्या चोरी करके ले गये थे। इस प्रकार बालकिशन अ.सा.03 ने अभियोजन कथा का कोई समर्थन नहीं किया है और बालकिशन अ.सा.03 के घटना के चक्षुदर्शी साक्षी होने के संबंध में लाल बहादुर अ.सा.02 तथा बालकिशन अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

13. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में लाल बहादुर अ.सा.02 ने यह दर्शित किया है कि आरोपी राकेश को दिनांक : 24/11/2013 को दिन में 11:30 बजे बस स्टेण्ड से पुलिस ने उसके सामने गिरफ्तार किया था। जबकि अभियोजन कथा तथा प्रकरण के विवेचक राधेश्याम जाट अ.सा.09 के अनुसार उसने आरोपी राकेश को दिनांक : 05/11/2013 को गिरफ्तार किया था। इस प्रकार आरोपी राकेश को दिनांक : 05/11/2013 या दिनांक : 24/11/2013 किस दिनांक को गिरफ्तार किया गया था, इस वावत् लाल बहादुर अ.सा.02 एवं राधेश्याम जाट अ.सा.09 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

14. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में लाल बहादुर अ.सा.02 ने यह दर्शित किया है कि आरोपी राकेश से थाने में पूछताछ की गई थी, बस स्टेण्ड पर नहीं। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि गिरफ्तारी की लिखा-पढ़ी एवं पूछताछ थाने पर की गई थी। प्रकरण के विवेचक राधेश्याम जाट अ.सा.09 ने उसके मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 02 में यह दर्शित किया है कि उसने दिनांक : 05/11/2013 को आरोपी राकेश से बस स्टेण्ड पर पूछताछ कर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का ज्ञापन लेखबद्ध किया था। आरोपी राकेश के ज्ञापन अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम में उक्त ज्ञापन अंकित करने का स्थान भी बस स्टेण्ड मालनपुर अंकित है, ना कि थाना मालनपुर। इस प्रकार आरोपी राकेश को गिरफ्तार करने के पश्चात् उससे पूछताछ किस स्थान पर की गई थी, इस वावत् लाल बहादुर अ.सा.02 तथा राधेश्याम जाट अ.सा.09 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं आरोपी राकेश के ज्ञापन अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्र.पी.05 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

15. प्रकरण के विवेचक राधेश्याम जाट अ.सा.09 ने मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 02 में यह दर्शित किया है कि उसने दिनांक : 05/11/2013 को साक्षीगण के समक्ष आरोपी राकेश के घर स्थित ग्राम सिलगिला से उसके स्वामित्व के कमरे से एक बिजली की मोटर जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.06 बनाया था। आरोपी राकेश से मोटर जब्ती का पंचनामा प्र.पी.06 पर साक्षी लाल बहादुर अ.सा.02 के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना लाल बहादुर अ.सा.02 द्वारा स्वीकृत एक तथ्य है। जबकि कथित रूप से आरोपी राकेश से मोटर जब्ती के साक्षी लाल बहादुर अ.सा.02 ने प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में यह दर्शित किया है कि पुलिस वाले आरोपी राकेश के घर से मोटर लेकर आये थे, जिस पर नोवा लिखा हुआ था। वह आरोपी राकेश के घर मोटर लेने पुलिस वालों के साथ नहीं गया था। मोटर राकेश के घर से लाने वाली बात उसे पुलिस वालों ने बताई थी। इस प्रकार चोरी गई मोटर की जब्ती, साक्षी लाल बहादुर अ.सा.02 के समक्ष आरोपी राकेश के घर से की गई थी, इस वावत् लाल बहादुर अ.सा.02 एवं प्रकरण के विवेचक राधेश्याम जाट अ.सा.09 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

16. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 07 में लाल बहादुर अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि दिनांक : 23 एवं 24/11/2013 के अलावा उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। जबकि अभियोजन कथा के अनुसार दिनांक : 23 एवं 24/11/2013 को साक्षी लाल बहादुर के समक्ष कोई कार्यवाही नहीं की गई है। बल्कि उसके समक्ष जो भी कार्यवाहियाँ की गई हैं, वह दिनांक : 05/11/2013 को की गई हैं। इस प्रकार साक्षी लाल बहादुर अ.सा.02 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य अभियोजन कथा के प्रतिकूल होने के कारण उसका कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

17. बालकिशन अ.सा.03, करतार सिंह अ.सा.06 एवं विनोद शर्मा अ.सा.10 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

18. साक्षी मनीष शर्मा अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी राकेश एवं उम्मेद को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 08/05/2015 से दो वर्ष पहले की है। तारीख उसे याद नहीं है। उसके सामने पुलिस ने आरोपी उम्मेद को पकड़ा था। पुलिस ने उससे पूछा था कि क्या तुम उक्त आरोपी को जानते हो, तो उसने बताया था कि वह उक्त आरोपी को जानता है। गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.08 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि पुलिस ने उससे पूछा था कि मोटर किसकी है, तो उसने कहा था कि मोटर कम्पनी की है। आरोपी उम्मेद ने उसके सामने पुलिस को कुछ नहीं बताया था। मैमों प्र.पी.09 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि पुलिस ने उसे बताया था कि उन्होंने मोटर जब्त की है और जब्ती पंचनामे पर उसके हस्ताक्षर कराये थे। जब्ती पंचनामा प्र.पी.10 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

19. राधेश्याम जाट अ.सा.09 का उसके मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 03 में यह कहना है कि उसने दिनांक : 19/12/2013 को आरोपी उम्मेद को साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.08 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् उसने आरोपी से बद्रीप्रसाद फैक्ट्री के सामने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का ज्ञापन प्र.पी.09 अंकित किया था तथा उसी दिन साक्षीगण के समक्ष आरोपी उम्मेद के गांव रुंद का पुरा में उसके स्वामित्व के कमरे से एक बिजली की मोटर जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.10 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी उम्मेद के गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.08, उसके ज्ञापन अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्र.पी.09 एवं जब्ती पत्रक प्र.पी.10 के ए से ए भागों पर साक्षी मनीष अ.सा.04 के हस्ताक्षर होना साक्षी मनीष अ.सा.04 द्वारा अभियोजन साक्ष्य में स्वीकृत एक तथ्य है। परन्तु मनीष अ.सा.04 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह दर्शित किया है कि आरोपी उम्मेद ने उसके सामने पुलिस को कुछ नहीं बताया था और पुलिस ने उसे यह बताया था कि पुलिस ने मोटर जब्त की है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में मनीष अ.सा. 04 ने यह दर्शित किया है कि उक्त पंचनामा प्र.पी.08 लगायत प्र.पी.10 पर उसके हस्ताक्षर थाने पर बैठकर लिये गये थे। जबकि उक्त गिरफ्तारी, मैमोरेंडम एवं जब्ती पत्रक प्र.पी.08, प्र.पी.09 एवं प्र.पी.10 में से किसी का भी बनाये जाने का स्थान पुलिस थाना मालनपुर या कोई अन्य थाना नहीं है। मनीष अ.सा.04 आगे कहता है कि उक्त पंचनामों पर हस्ताक्षर करने से पहले आरोपी उम्मेद उसे थाने पर बैठा मिला था। तत्पश्चात् उसने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह पुलिस के साथ किसी गांव रुंद का पुरा नहीं गया था। इस प्रकार साक्षी मनीष अ.सा.04 के समक्ष आरोपी

उम्मेद की गिरफ्तारी, उसका धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का ज्ञापन अंकित किया जाना एवं आरोपी उम्मेद के गांव रुंद के पुरा से साक्षी मनीष के समक्ष एक मोटर की जब्ती होने के तथ्य के संबंध में साक्षी मनीष अ.सा.04 तथा प्रकरण के विवेचक राधेश्याम जाट अ.सा.09 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है और इस कारण मनीष अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

20. साक्षी परमाल सिंह अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी उम्मेद को नहीं जानता है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 08/05/2015 से दो वर्ष पहले की है। साक्षी आगे कहता है कि उसके सामने कुछ नहीं हुआ था। उसके सामने पुलिस ने पानी की मोटर बरामद की थी। आरोपी थाने में बैठा हुआ था। पुलिस ने उससे कहा था कि माल बरामद हो गया है, इसलिए हस्ताक्षर कर दो। जब्ती पंचनामा प्र.पी.10 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने और कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी परमाल अ.सा.05 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि आरोपी उम्मेद सिंह को पुलिस ने उसके सामने गिरफ्तार किया था। साक्षी परमाल अ.सा.05 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्र.पी.08 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी परमाल अ.सा.05 ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसके सामने उम्मेद से पूछताछ की थी एवं उम्मेद ने उसके सामने पुलिस को यह बताया था कि मोटर आरोपी ने अपने घर में टी.वी. वाले कमरे में छुपाकर रखी है, चलकर बरामद करा देता हूँ। साक्षी परमाल अ.सा.05 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्र.पी.09 के पंचनामे पर बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इस प्रकार इस साक्षी परमाल अ.सा.05 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आरोपी उम्मेद की उसके समक्ष गिरफ्तारी, धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का ज्ञापन अंकित किये जाने एवं मोटर जब्त किये जाने के तथ्य का समर्थन नहीं किया है।

21. अभियोजन साक्षी जयदेवी अ.सा.08 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 17/08/2016 से लगभग तीन साल पहले की है। उस समय वह ग्राम पंचायत मालनपुर में सरपंच पद पर पदस्थ थी। उस समय उसके द्वारा शासकीय प्राथमिक विद्यालय मालनपुर में चोरी गई वस्तुओं की शिनाख्ती की कार्यवाही की गई थी। साक्षी आगे कहती है फौकट्टी वालों ने उसके सामने मोटरें उनकी होना पहचाना था। इस वावत् शिनाख्ती पंचनामा बनाया गया था, जो प्र.पी.03 है, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में जयदेवी अ.सा.08 ने यह दर्शित किया है कि शिनाख्ती पंचनामा प्र.पी.03 उसके द्वारा लेखबद्ध नहीं किया गया था, उसे तो लिखा हुआ मिल गया था, जिस पर

उसने हस्ताक्षर कर दिये थे। साक्षी जयदेवी अ.सा.08 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि शिनाख्ती पंचनामा प्र.पी.03 उसकी हस्तलिपि में नहीं है, परन्तु जयदेवी अ.सा.08 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि उक्त शिनाख्ती पंचनामा प्र.पी.03 किसके द्वारा लेखबद्ध किया गया था। साक्षी जयदेवी अ.सा.08 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि जिस समय शिनाख्ती कार्यवाही की गई थी, उस समय पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे। पुलिस वालों की शिनाख्ती कार्यवाही स्थल पर मौजूदगी भी शिनाख्ती कार्यवाही की विधिपूर्णता पर संदेह उत्पन्न करती है। साक्षी आगे कहती है कि जिस समय शिनाख्ती कार्यवाही की गई थी, उस समय स्कूल में केवल दो मोटरें मौजूद थी, जिन्हें फ़ैक्ट्री वालों ने अपनी होना पहचाना था। उल्लेखनीय है कि शिनाख्ती पंचनामा प्र.पी.03 में जब्तशुदा दो मोटरों के साथ मिली जुली दो तीन अन्य मोटरों के शिनाख्ती कार्यवाही में रखे होने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार शिनाख्ती पंचनामा प्र.पी.03 के तथ्यों तथा कथित रूप से उक्त शिनाख्ती पंचनामा तैयार करने वाले साक्षी जयदेवी अ.सा.08 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के तथ्यों के मध्य इस वावत् गंभीर विरोधाभास है। वैसे भी यदि साक्षी जयदेवी अ.सा.08 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य को सत्य माना जाये तो शिनाख्ती कार्यवाही पूर्ण रूप से संदेहास्पद है क्योंकि उसके अनुसार जब्तशुदा दो मोटरों के साथ किन्हीं अन्य मोटरों को मिलाकर रखा ही नहीं गया।

22. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर भी पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण राकेश कौरव एवं उम्मेद सिंह ने दिनांक : 02-03/11/2013 की दरम्यानी रात्रि लगभग 12-01 बजे नोवा फ़ैक्ट्री मालनपुर में, सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ गृह अतिचार किया एवं फरियादी आदित्य शुक्ला के आधिपत्य से दो पुरानी बिजली की मोटर कीमत लगभग 5,000/- रुपये को उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी की।

अंतिम निष्कर्ष

23. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपीगण राकेश एवं उम्मेद के विरुद्ध धारा 457 एवं 380 भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपीगण को धारा 457 एवं 380 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

24. आरोपीगण के प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये गये। जमानतदार को स्वतंत्र किया गया।

25. प्रकरण में जब्तशुदा दो बिजली की मोटर पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी आदित्य शुक्ला के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगी नामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद